न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

अपील एल.आर. संख्या 147/2011/ जिला–नागौर

1. मंगलाराम पुत्र घीसाराम
2. चन्द्राराम पुत्र घीसाराम
3. टोडाराम पुत्र भोलाराम
4. अर्जुनराम पुत्र चेनाराम
5. उदाराम पुत्र गोदाराम

समस्त ग्राम निवासी पिथास तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलांट्स

बनाम

1. रामूराम पुत्र पूसाराम निवासी ग्राम पिथास, तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मेड़ता

–––––रेस्पोन्डेन्ट्स

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 28–6–2011
प्रकरण संख्या 194/2011 बउनवान तहसीलदार, मेड़ता बनाम रामूराम वगैरह

————

उपस्थित– 1. श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक, अपीलांट्स
2. श्री वी.एस.राठौड़, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1

निर्णय

दिनांकः– 31–10–2017

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट्स ग्राम पिथास के निवासी है तथा ग्राम पिथास में रास्ता खसरा नम्बर 184 जो ग्राम पिथास से मुंगदड़ा की ओर जाता है इसी रास्ते से होकर ग्रामवासी खसरा नम्बर 181 में स्थित तालाब पर जाते है। इसी रास्ते से होकर ग्रामवासी खसरा संख्या 180 में स्थित शमशान में भी मौत आदि होने पर जाते है उक्त रास्ता गांवाई रास्ता है तथा इसी तालाब का पानी पीने के उपयोग में लिया जाता है तथा ग्राम के मवेशी भी पानी पीने यहां आते है गोचर भूमि पर भी इसी रास्ते से जाया जाता है। उक्त रास्ता कदीम से चला आ रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने इस रास्ते की भूमि पर

अपने खेत खसरा संख्या 147 पुराना नया 293 से आगे बढ़कर अतिक्रमण करने पर उतारू है तथा खसरा संख्या 184 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना नरेगा के तहत बनाई गईग सड़क पर अतिक्रमण कर रास्ता बंद करने की फिराक में है तथा खसरा नम्बर 147 पुराना व नया 293 की भूमि बाबत आगे बढ़कर किये गये अतिक्रमण बाबत इस संबंध में कई मुकदमें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है तथा खसरा नम्बर 184 में धारा 91 का प्रकरण भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विरूद्ध चल रहा है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने इसी भूमि को लेकर एक वाद उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थीगण को पक्षकार अंकित किया गया तथा उस वाद में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का निस्तारण होने पर राजस्व अपील प्राधिकारी में प्रस्तुत की गई अपील में भी अपीलार्थीगण को पक्षकार मुर्तिब किया गया। इसी मध्य राजस्व अधिकारियों से मिलकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया । अधिनस्थ न्यायालय ने धारा 136 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार मेड़ता को नक्शा दुरूस्त करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

अपील के साथ प्रस्तुत एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 पर भी उभय पक्ष को सुना गया । अभिभाषक अपीलान्ट ने इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि अपीलांट्स ग्राम पिथास के निवासी है तथा प्रार्थीगण का सीधा हित रास्ते की भूमि में निहित है सभी ग्रामवासियान रास्ते का उपयोग उपभोग करते है तथा सार्वजनिक हित को देखते हुए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को सर्तक रहना चाहिए परन्तु उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने अवैधानिक अनुशंषा की है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि व सरपंच द्वारा भी उदासीनता बरती जा रही है रेस्पोन्डेन्ट रामूराम को अवैधानिक लाभ पहुंचाने हेतु प्रयासरत है। इन परिस्थितियों में ग्रामवासियान के प्रतिनिधि के तौर पर अपीलांट्स के हक अधिकार प्रभावित होने से अपील प्रस्तुत की जा रही है। इसी विवादित बिन्दु को लेकर पूर्व में दायर राजस्व वाद में भी स्वयं रेस्पोन्डेन्ट ने अपीलांट्स को पक्षकार बनाया था जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स ग्राम के मौजीज व्यक्ति है तथा अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखते है। यदि अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गई तो समस्त ग्रामवासियान के हक अधिकार हमेशा के लिए प्रभावित होंगे। उपरोक्त तर्को से प्रार्थीगण अपीलाधीन आदेश से प्रभावित होने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलान्ट की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेन्ट अभिभाषक ने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण की भूमि अपीलान्ट की भूमि के लगते हुए है एंव

अप्रार्थीगण द्वारा अपनी स्वयं की खातेदारी की भूमि का नक्शा शीट में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया था।

उभय पक्षों की धारा–96 जा0दी0 पर सुनी बहस एवं उपलब्ध अभिलेख के मनन पश्चात अपीलान्ट का धारा–96 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 184 के पास स्थित खेत खसरा नम्बर 293 की सीमाओं में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा परिवर्तन करने के आदेश देने से समस्त ग्रामवासियान का उपयोग का रास्ता प्रभावित होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना प्रक्रिया अपनाये जो आदेश पारित किया है वह निरस्त योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद जो इसी अनुतोष से संबंधित था उसमें स्वयं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने दिनांक 21–12–2009 को आदेश पारित करते हुए निष्कर्ष दिया कि अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत तीनों बिन्दु रामूराम के पक्ष में नहीं होना पाया जाता है तथा रास्ते की आड़ में अतिक्रमण रहने से आम जनता को परेशानी होगी, इस प्रकार सार्वजनिक हित का बिन्दु उपखण्ड अधिकारी मेड़ता की जानकारी में रहते हुए धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम वासियान एवं ग्राम पंचायत को सुने बिना पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उनका यह भी कथन कि रेस्पोन्डेन्ट द्वारा सार्वजनिक रास्ते को रोकने के कारण ही स्वयं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता ने धारा 91 के तहत बेदखली का आदेश पारित किया जाना था तत्पश्चात अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2011 के पूर्व तहसीलदार मेड़ता द्वारा अभिलेख में परिवर्तन करने बाबत जो अनुशंषा की गई है वह कई दशकों से मौके पर चली आ रही भौतिक स्थिति के प्रतिकूल है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना एक पक्षीय आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि नक्शा शीट में मौके की दशकों पुरानी जो स्थिति चली आ रही हवै वह शुद्धिकरण के नाम पर परिवर्तन करने से मौके पर भौतिक रूप से अतिक्रमण होने से परिवर्तित होती है। इस प्रकार एक तरफ तो राजस्व अभिलेख में अंकित रकबा अनुसार भौतिक धारण पर्याप्त होना बताया जा रहा है तथा दूसरी ओर शुद्धिकरण के नाम पर नक्शें में परिवर्तन कर पूर्व भौतिक धारण से आगे बढ़कर रेस्पोन्डेन्ट द्वारा रास्ते को बन्द किया जा रहा है। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–6–2011 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ग्राम पिथास का पुराना खसरा नम्बर 147 एवं नया खसरा नम्बर 293 रकबा 2.03 हैक्टर का खातेदार काश्तकार है। जिला कलक्टर नागौर द्वारा तहसीलदार, मेड़ता को अपने पत्र क्रमांक 1951–53 दिनांक 19–4–2010 के द्वारा निर्देशित किया कि पूर्व में भू–प्रबन्ध की पूर्व स्थित की खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान दिनांक 21–2–2009 में खातेदार का अतिक्रमण सरकारी भूमि पर नहीं दर्शाया गया है तथा गठित टीम द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 20–3–2009 के प्रथम भाग में गत नक्शा के पटवारी नाप दिनांक 21–2–2009 की पुष्टि की गई है। अतः तहसीलदार को निर्देशित किया कि उक्त संबंध में स्पष्ट रिपोर्ट अंकित कर प्रतिवेदन में सम्पूर्ण स्थिति को स्पष्ट करे। तहसीलदार मेड़ता ने अपने पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 7–6–2011 द्वारा ग्राम पिथास के पुराना खसरा नम्बर 147 के नये खसरा नम्बर 293 का रकबा समान दर्ज है परन्तु रेस्पोन्डेन्ट रामूराम के द्वारा मौके पर नाप करने से पुरानी शीट अनुसार संलग्न नक्शा नाप रिपोर्ट अनुसार बिन्दु ई से एफ की दूरी 63 गट्टा, ए से बी की दूरी 67 गट्टा है। नई शीट अनुसार ई से एफ की दूरी 61 गट्टा तथा ए से बी की दूरी 66 गट्टा ही है। इस कारण से दोनों शीटे नाप करने से अलग–अलग जगह चिन्हीकरण हुआ है। तहसीलदार, मेड़ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत उपखण्ड अधिकारी मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया रेस्पोन्डेन्ट रामूराम को नोटिस जारी किया गया एवं जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 2–6–2011 की पालना में एवं तहसीलदार मेड़ता की अनुशंषा के आधार पर सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति रखा जाना उचित प्रतीत होना मानते हुए उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा अपना निर्णय दिनांक 28–6–2011 पारित किया है जिसमें कोई अनियमितता पाया जाना प्रतीत नहीं होता है।

उनका यह भी लिखित कथन है कि अपीलांट्स मंगलाराम वगैरह उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष पक्षकार नहीं थे एवं मौजूदा अपील में भी वह प्रभावित पक्षकार नहीं है। मौजूदा अपीलांट द्वारा यह अपील ग्रामवासियों की हैसियत से प्रस्तुत की है परन्तु ग्राम वासियों द्वारा उन्हें अपील प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया एवं ना ही ग्राम पंचायत या किसी अन्य द्वारा इन्हें अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं होने के कारण अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखते है। अपीलांट्स द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति चाही है किन्तु वह उक्त प्रकरण में प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलांट का कथन कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाये आदेश पारित किया है परन्तु अपीलांट द्वारा यह नहीं दर्शाया गया कि क्या विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। धारा 136 एल.आर.एक्ट समरी कार्यवाही है जिसमें तहसीलदार एवं पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर उचित निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त की जावे एवं उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2011 विधिसम्मत होने से यथावत रखे जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने अपीलांट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसार सेटलमेन्ट ऑपरेशन के तहत किये गये गलत इन्द्राज को लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर को सही करने का अधिकार है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट की आराजी बाबत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई क्लेम प्रस्तुत नहीं किया किन्तु अपीलांट्स द्वारा सार्वजनिक रास्ते जिस पर ग्रामवासी आते जाते है, पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किये जाने के संबंध में अपील प्रस्तुत की है। यद्यपि अपीलांट्स अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय से किसी भी रूप में व्यथित पक्षकार नहीं है किन्तु विवादग्रस्त आराजियात ग्राम पिथास की रास्ते की भूमि से संबंधित है जो कि ग्रामवासियान एवं पशुओं के आने जाने एवं शमशान में आने जाने के काम आती है। अपीलांट्स द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमि के लिए इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा तहसीलदार मेड़ता की रिपोर्ट के आधार पर विवादग्रस्त आराजियात को खातेदारी में दर्ज कर राजस्व नक्शे में शुद्धिकरण के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व ग्रामवासियान एवं विवादग्रस्त आराजियात के पड़ौसी खातेदारों एवं सरपंच ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाकर विधिवत सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर आदेश पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की मॉजूदगी में मौके पर सुनवाई कर आदेश पारित किया जाना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 28–6–2011 विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–6–2011 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 194/2011 बउनवान तहसीलदार, मेड़ता बनाम रामूराम विधिविरूद्ध होने से निरस्त निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, मेड़ता को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे दोनों पक्षकारों एवं सरपंच एवं ग्रामवासियान एंव पड़ौसी खातेदारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर मौके की जांच कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर